ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/12330/2004/भरतपुर कुमरनपाल बनाम राजू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री इन्द्र सिंह राव,सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे0के0पारीक, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 3

––

आदेश

दिनांकः26–09–18

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, फागी द्वारा अपील सं0 62/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 14–08–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जया के नामान्तरकरण सं0 16 के द्वारा खातेदार बुद्धी पुत्र तलफी के फौत होने पर पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 14–11–90 के आधार पर बहक कुमरपाल, भागमल,चरनसिंह पि0 बुद्धी के दर्ज किया, जिसे तहसीलदार, कुम्हेर ने अपने आदेश दिनांक 24–03–92 से स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ठ होकर प्रथम अपील अति0 कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14–12–99 द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार, कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया वे उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार, कुम्हेर ने आदेश दिनांक 01–07–2000 द्वारा नामान्तरकरण सं0 16 पर पारित आदेश दिनांक

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/12330/2004/भरतपुर कुमरनपाल बनाम राजू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24-03-92 को यथावत रखा। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपील अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में पेश की गई है, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14-08-2002 द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार, कुम्हेर का आदेश दिनांक 01-07-2000 निरस्त किया तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतक बुद्धी की विरासत का नामान्तरकरण उसके सभी जायज वारिसान के हक में स्वीकृत किया जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निगराकार के पिता को उक्त विवादित भूमि आवंटित हुई थी और उक्त भूमि हाकिम वगैरह से स्व0 बुद्धी के नाम आवंटित हुई थी। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि 21 बीघा पैतृक भूमि न होकर स्व0 बुद्धा की स्वअर्जित भूमि है, जिस पर उसे उपयोग, उपभोग आदि करने एवं रहन बय व बख्शीश करने के संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, उक्त तथ्य पर ध्यान न देकर अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। बुद्धी ने अपने जीवनकाल में ही भूपाल को अलग से भूमि दे दी जो कि भोपाल की खातेदारी में है तत्था भूपाल, बुद्धी के जीवनकाल में ही अलग हो गया था तथा प्रार्थीगण उनके पिता स्व0 बुद्धी के साथ निवास करते थे, बुद्धी द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में एक वसीयत पंजीयन करवा दी थी। उनका तर्क था कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के पिता की स्वअर्जित भूमि थी, जिस संबंध में उन्होंने संवत् 2009 की प्रति पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ अपील	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/12330/2004/भरतपुर कुमरनपाल बनाम राजू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय ने गौर नहीं किया उक्त अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता की स्वअर्जित भूमि थी, जिसका उपयोग, उपभोग व हस्तातंरण करने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। उनका तर्क था कि तहसीलदार ने रिमाण्ड आदेश की पालना में पक्षकारों को नोटिस जारी किए तथा साक्ष्य व सबूत का पूर्ण अवसर प्रदान कर अपना निर्णय 01–07–200 पारित किया, जिसमें अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अनुचित रूप से हस्तक्षेप कर अपना निर्णय प्रदान किया। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपील न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जावें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि तहसीलदार ने रिमाण्ड आदेश की पालना में अप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया तथा वसीयत की भी जांच नहीं की। वसीयत में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भूपाल को जो किउसका जायन्दा पुत्र है, उसके नाम भूमि क्यों नहीं की। उनका यह भी तर्क था कि जब तक वसीयत में कारण नहीं हो कि शेष वारिसान को हक क्यों नहीं दिया गया, वसीयत मान्य नहीं होती है। उनका यह भी तर्क था कि बुद्धी को विवादित आराजी आवंटन नहीं हुई, इस बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। उनका यह भी तर्क था कि भूपाल के पास जो तीन बीघा भूमि है, वह उसे आवंटित हुई थी। उसके पिता ने उसे कोई भूमि नहीं दी, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की। अतः निगरानी खारिज की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण के तर्को पर मनन	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/12330/2004/भरतपुर कुमरनपाल बनाम राजू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करने के पूर्व दोनों पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक था। किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संबंधित पक्षकारों को सुना जाना स्पष्ट नहीं होता है। अतः हम निगरानी को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–08–2002 व तहसीलदार, कुम्हेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–07–2000 निरस्त किए जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार, कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक बुद्धी से संबंधित भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व निगरानी सं0 12330/2004में उल्लेखित उभय पक्ष को सुनकर गुणावगुण के आधार पर पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (इन्द्र सिंह राव) सदस्य	